विधान परिषद के प्रथम सत्र, 2024 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित डा० मान सिंह यादव, मा० सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या- 3 का उत्तरः-

क्र०	प्रश्न	उत्तर
3(क)	क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि खाद्य रसद विभाग द्वारा जनपद-रायबरेली में किराये पर लिये गये गोदामों का किराया भुगतान पुनरीक्षित दर से कराया गया है?	जनपद-रायबरेली में वर्तमान में कुल 06 गोदाम विभागीय किरायेदारी में चल रहे है। जिनमें से (1) श्रीमती उर्मिला देवी, डीह (प्राईवेट गोदाम),(2) श्री अजय कुमार सिंह,बछरावाँ (प्राइवेट गोदाम) (3) श्रीमती सुमन सिंह, हरचन्दपुर (प्राइवेट गोदाम), (4) कृषि उत्पादन मण्डी समिति, लालगंज (अर्द्ध सरकारी गोदाम) के गोदाम स्वामियों द्वारा किराया वृद्धि/ पुनरीक्षण हेतु कोई आवेदन/ प्रस्ताव जिला खाद्य विपणन अधिकारी, रायबरेली कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराया गया है। 5- एस.डब्ल्यू.सी.,छजलापुर(अर्द्ध सरकारी गोदाम):- प्रश्नगत गोदाम का दिनांक 31.03.2024 तक की पुनरीक्षित दरों पर किराया भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है एवं दिनांक 30.06.2023 तक की अवधि के किराये का भुगतान किया जा चुका है। दिनांक 01.07.2023 से अद्यतन तिथि तक के किराया भुगतान हेतु बिल प्राप्त कर भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 6- श्री नवल चन्द्र त्रिपाठी, ऊँचाहार (प्राइवेट गोदाम) का किराया भुगतान दिनांक 31.03.2022 तक की अवधि हेतु कराया जा चुका है एवं दिनांक 27.01.2024 तक की अवधि के किराये की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा दिनांक 27.01.2024 को गोदाम विभागीय किरायेदारी से छोड दिया गया है। दिनांक 01.04.2022 से 27.01.2024 तक की अवधि के किराया भुगतान हेतु ट्रेजरी को बिल प्रेषित कर दिया गया है। गोदाम स्वामी द्वारा किराया वृद्धि/ पुनरीक्षण हेतु प्रस्ताव दिनांक 06.2.2023 को प्रस्तुत किया गया है, जिसके क्रम में पुनरीक्षित दरो पर किराया वृद्धि किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
(ख)	यदि हॉं, तो क्या जिला खाद्य विपणन	जनपद-रायबरेली में विभागीय किरायेदारी में चल रहे 06 गोदामों में से (i) एस०डब्ल्यू०सी०, छजलापुर

	अधिकारी, कार्यालय, रायबरेली को प्रस्ताव उपलब्ध कराने के उपरान्त भी शासनादेश संख्या-21/2018/346/29-3-2018-जी-26/2002 दिनांक 02 मई, 2018 के अनुरूप अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी?	(अर्द्ध सरकारी गोदाम) का दिनांक 31.03.2024 तक की अवधि का पुनरीक्षित दरों पर किराया भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा (ii) श्री नवल चन्द्र त्रिपाठी, ऊँचाहार (प्राइवेट गोदाम) के पुनरीक्षित दरों पर किराया वृद्धि किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
(ग)	क्या इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के दायित्वों का निर्धारण कराते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही करायेंगे?	किराया वृद्धि के सम्बन्ध में गोदाम स्वामी द्वारा आवेदन/ प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात ही किराया वृद्धि सम्बन्धी कार्यवाही की जाती है। श्री नवल चन्द्र त्रिपाठी द्वारा किराया वृद्धि सम्बन्धी आवेदन जिला खाद्य विपणन अधिकारी, कार्यालय रायबरेली में दिनांक 06.02.2023 को प्राप्त होने के उपरान्त किराया वृद्धि सम्बन्धी कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा कोई शिथिलता नहीं बरती गयी है, अत: किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया है।
(घ)	क्या उक्त पुनरीक्षित दरों पर किराये का भुगतान कराकर सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	उपरोक्तानुसार।
(ड)	यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।